बिहार विधान सभा वादवृत्त

मंगलवार तिथि २१ मार्च १९५०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने में मंगलवार, तिथि २१ मार्च १९५० को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर

STARRED QUESTIOS AND ANSWERS

बिहार को केन्द्र से जूट के एक्सपोर्ट ड्यूटि के आय में हिस्सा।

* १२६। श्री नन्द किशोर नारायन लाल: क्या माननीय अर्थ मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि—

(क) केन्द्र से हमारे बिहार राज्य को कितना इनकम टैक्स और जूट के एक्सपोर्ट डयूटि के आय से हिस्सा मिला है और उसका क्या आधार है;

(ख) क्या यह बात सही है कि बिहार आज की परिस्थिति में सब से अधिक जूट उत्पादन करने वाला स्टेट है फिर भी उसे आसाम से ५ लाख और पश्चिमी बंगाल से ७० लाख रुपया कम जूट के एक्सपोर्ट ड्यूटी के आय से हिस्सा मिला है;

(ग) यदि उपरोक्त बातें सही है तो सरकार केन्द्र से इस सम्बन्ध में क्या कारवाई कर रही है और यदि नहीं तो क्यों?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह: (क) इन्कम टैक्स में बिहार का हिस्सा साढ़े १२ प्रतिशत है और जूट के एक्सपोर्ट ड्यूटी के आय से ३० लाख रुपया मिलता है। यह हिस्सा देशमुख एवार्ड से ही प्राप्त होता है। देशमुख एवार्ड की कापी टेबुल पर रखी हुई है।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : इस पर सरकार विचार कर रही है। जब विचार पक्का हो जायेगा तब सरकार निर्देश कर देगी।

श्री लतिफुर्रहमान : हमारे समझ में नहीं आया कि सरकार का क्या जवाब है ?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको अंग्रेजी में पढ़कर सुना देता हूं —

Hon'ble Dr. Anugrah Narain Singh : (a) The answer is in the affirmative.

(b) The management's contention for the withdrawal of the recognition of the Union affiliated to the I.N'T.U.C is that the Union is not representative of the workman ; and this contention was put forward after the said Union had submitted a list of demands on behalf of the workman soon after it had been recognised dy the management.

(c) Government are not aware of any such letter.

(d) Under the present Trade Unions Act, the discretion of granting recognition to a union rests entirely with the management and Government cannot interfere, unless Govt. decide to refer it as an industrial dispute to adjudication under the Industrial Dispute Act. Government are examining whether any such reference is warranted in this case.

श्री नन्द किशोर नारायण लाल : Will Government be pleased to state the policy of I.N,T.U.C. ?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : The question does not arise.

बक्सर को-आपरेटिव स्टोर्स को चीनी बेचने का लाइसेन्स।

*१२९। सरदार हरिहर सिंह : क्या माननीय मंत्री, पूर्ति एवं मूल्य नियत्रण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) बक्सर को-आपरेटिव स्टोर्स से चीनी बेचने का लाइसेन्स कब रद्द कर दिया गया ;

(ख) को-आपरेटिव स्टोर्स से चीनी बेचने का काम छुड़ा कर किसको और क्यों दिया गया ;

नोट : प्रश्न संख्या १३० ५ अप्रिल १९५० तक के लिये स्थगित किया गया।

(ग) क्या यह सही है कि जिन लोगों को बक्सर में चीनी बेचने का अधिकार दिया गया, वे कभी चीनी का कारबार नहीं करते थे ?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : (क) बक्सर कोअपरेटिव स्टोर्स को ८ दिसम्बर १९४९ के बाद चीनी होलसेलर के काम हटा दिया गया था।

(ख) कोअपरेटिव स्टोर्स को हटा कर हनुमान राम, सीता राम, और योगेन्द्र प्रसाद, रामेन्द्र प्रसाद को चीनी का होलसेलर नियुक्त किया गया। सरकार ने यह तय किया है कि जो कि पहले चीनी के थोक व्यापारी नहीं थे उसको इस कंट्रोल में चीनी का होलसेलर नहीं बनाया जाय। इसी निश्चय के मुताबिक जिलाधीश ने बक्सर कोअपरेटिव को हटा कर उपर लिखे हुए व्यापारियों को होलसेलर नियुक्त किया है। जांच करने पर पता चला कि बक्सर कोअपरेटिव स्टोर्स जिस समय चीनी पर नियंत्रण नहीं था उस समय चीनी का व्यापार करता था। इसलिये जिलाधीश को बक्सर कोआपरेटिव स्टोर्स को फिर से चीनी का होलसेलर नियुक्त करने का आदेश दिया गया है।

(ग) उत्तर नकारात्मक है।

सरदार हरिहर सिंह : जिन लोगों को बक्सर में चिनी बेचने का अधिकार दिया गया है वे कभी चीनी का कारवार नहीं करते थे।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : उत्तर नकारात्मक है।

सरदार हरिहर सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि जिस firm को चीनी बेचने का अधिकार दिया गया है वह firm कभी चीनी का व्यापार नहीं करता था।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : District officer के report पर उस को चीनी बेचने का अधिकार दिया गया है।

सरदार हरिहर सिंह : District Magistrate ने report दिया।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : ठीक तारीख मालूम नहीं है और अगर तारीख जानना चाहते हैं तो स्वतंत्र सूचना दीजिये तो बता दिया जायेगा।

सरदार हरिहर सिंह : बक्सर कोआपरेटिव स्टोर्स का license किसके recommendation पर रद्द किया गया।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : सरकार ने एक circular issue किया था कि जो लोग decontrol के जमाने में चीनी का व्यापार करते थे

उन्हीं को चीनी बेचने का अधिकार दिया जाय। लेकिन अफसरों ने इसको गलती interput किया और उसी में बक्सर कोआपरेटिव स्टोर्स का अधिकार छिन लिया गया। लेकिन अब वह गलती ठीक कर दी गई।

सरदार हरिहर सिंह : इसका order किस तारीख को दिया गया ?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : Order हाल ही में दिया गया लेकिन ठीक तारीख मालूम नहीं है।

श्री नन्द किशोर नारायण लाल : क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रांतीय सरकार को आदेश दिया था कि चीनी का वितरण कोआपरेटिव सोसाइटी के जरीये होना चाहिये।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : चीनी के लिये आदेश नहीं था और दूसरेर चीजों के लिये था।

श्री जगन्नाथ सिंह : सरकार का यह circular था कि जो पहले चीनी का व्यापार करते थे उन्हीं का license दिया जाय तो यह Cooperation पर क्यो लागू किया गया ?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : जहां पर circular लागू होना चाहिये वहां लागू होता है।

श्री जगन्नाथ सिंह : तो Cooperation के care में rule को relax क्यों नहीं किया गया ?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : जहां relax करना चाहिये था वहां किया गया जहां नहीं करने लायक था वहां नहीं किया गया।

श्री जगन्नाथ सिंह : कहां पर relax किया गया इस दुरंगी नीति का क्या मतलब ?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : यह अच्छे हालत पर निभर करता है।

श्री जमुना प्रसाद सिंह : Enterpulation में जब गलती हुई तो दूसरा circular उसको ठीक करने के लिये collector के पास भेजा गया या नहीं?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : नहीं भेजा गया।

श्री जमुना प्रसाद सिंह : क्या यह बात ठीक है कि Cooperation अगर supply करना चाहे तो उसको preference दिया जाय ?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : इसका जवाब दे दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष : यहां बक्सर कोआपरेटिव स्टोर्स का सवाल है। सब सहयोग संस्थाओं के बारे में सबाल नहीं पूछा जा सकता।

विधान परिषद से प्राप्त सन्देश
Messages from the Lagislative Council

सभा-सचिव : महोदय, विधान परिषद से दो संदेश प्राप्त हुए हैं।

बिहार विधान परिषद ने अपने तिथि ३० मार्च की बैठक में बिना किसी संशोधन और सिफारिश के बिहार फिनन्स बिल १९५० में अपनी सहमति दी है जिसको बिहार विधान सभा ने तिथि ८ मार्च को स्वीकृत किया था।

दूसरा संदेश यों है :

बिहार विधान परिषद ने अपने तिथि २० मार्च के बैठक में बिना किसी संशोधन किये बिहार लेजिलेटिव (रिभूवल आफ डिसकालीफिकेशन) बिल १९५० पर अपनी सहमति दे दी है जिसको बिहार विधान सभा ने अपनी तिथि ८ मार्च की बैठक में स्वीकृत किया था।

आर्थिक कार्य : FINANCIAL BUSINESS

आय-व्ययक : Budget

अनुदान के अभियाचन पर मतदान
Voting of Demands for Grants.

कृषि : Agriculture.

माननीय डा० सैयद महमूद : मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च १९५१ को समाप्त होने वाले वर्ष में "कृषि" के निमित्त जो व्यय होगा उसके लिए प्रान्तीय शासन को २,०९,९५,११० तक की राशि दी जाय—

इस प्रस्ताव को महामहिल राज्यपाल का अभिस्ताव प्राप्त है।